परिशिष्ट I

(2)

म०प्र० शासन, वन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3-52/2005/10-2 भोपाल, दिनांक

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म०प्र० भोपाल.

विषय:- म०प्र० शासन के संकल्प दिनांक 22.10.2001 के अंतर्गत वन प्रबंधन की नीतियों को प्राप्त लाभांश की 20 प्रतिशत राशि विकास कार्यों के उपयोग हेतु मार्गदर्शी निय। ।

===

उपरोक्त विषय में विभाग द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी नियम की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है । कृपया समस्त संबंधितों को इसकी प्रतियां प्रेषित करने का कष्ट करें ।

3798
29.12.06

(मीनाक्षी मालवीया)
अवर सचिव
म०प्र० शासन, वन विभाग

पृ०क्र० एफ-3-52/2005/10-2 भोपाल, दिनांक 27-12-2006

प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक, (संयुक्त वन प्रबंधन) म०प्र० भोपाल ।

अवर सचिव
म०प्र० शासन, वन विभाग

विषयः– मध्य प्रदेश शासन के संकल्प दिनांक 22/10/2001 के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन की नीतियों को प्राप्त लाभांश की 20 प्रतिशत राशि विकास कार्यों में उपयोग हेतु मार्गदर्शी नियम।

——0——

उद्देश्य :

मध्य प्रदेश शासन के संकल्प दिनांक 22/10/2001 के पालन में इमारती काष्ठ एवं बांस के विक्रय से प्राप्त लाभांश की राशि के 20 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना :
   - 1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम " मध्य प्रदेश विकास राशि उपयोग नियम, 2006" है।
   - 1.2 ये नियम पूरे मध्य प्रदेश में लागू होंगे।
   - 1.3 ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
2. परिभाषाएं :

   इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–
   - 2.1 वन समिति से अभिप्रेत है : संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो मध्य प्रदेश शासन के संकल्प 2001 के अंतर्गत गठित हो।
   - 2.2 प्रशिक्षण संस्था से अभिप्रेत है : वन विद्यालय अथवा ऐसे शासकीय संस्थान जहां संयुक्त वन प्रबंधन समिति सदस्यों एवं विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।
   - 2.3 विकास राशि से अभिप्रेत है : मध्य प्रदेश शासन के संकल्प दिनांक 20/10/2001 के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंध समितियों कों प्राप्त लाभांश में से प्रशिक्षण अधोसंरचना सुविधाओं आदि कार्यों हेतु आरक्षित 20 प्रतिशत राशि
3. विकास राशि से कराए जानें वाले कार्य :

   इस राशि से निम्न दो प्रकार के कार्य कराए जा सकेंगें –

   (अ) वन विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण, उनमें अधोसंरचना का विकास एवं समितियों के सदस्यों तथा वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। इसमें प्रदेश के लिए वनों के विकास एवं संरक्षण हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री तैयार करना सम्मिलित होगा।

   (ब) संयुक्त वन प्रबंधन से संबद्ध वन कर्मचारियों के आवास निर्माण एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सशक्तीकरण हेतु अधोसरंचना का विकास।

3.1. 3 (अ) प्रशिक्षण संस्थानों को एवं 3 (ब) हेतु वनमण्डलों को आवंटित की जाने वाली राशि का अनुपात 70:30 रहेगा।

4. कार्यों का अनुमोदन :

4.1 आवंटित राशि से कार्यों की स्वीकृति करने के लिए विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाएगा :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) – अध्यक्ष
मुख्य वन संरक्षक , मानव संसाधन विकास – सदस्य
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के प्रतिनिधि– सदस्य
मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) के प्रतिनिधि – सदस्य
मुख्य वन संरक्षक (वित्त / बजट) – सदस्य
प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वित्तीय सलाहकार – सदस्य
मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन / वन विकास अभिकरण – सदस्य सचिव

4.2 समिति के कर्त्तव्य : उपरोक्त समिति विकास राशि से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियमों में निर्धारित अनुपात अनुसार ही कुल राशि का उपयोग प्रशिक्षण संस्थानों एवं वनमण्डलों को किया जावे। समिति वर्ष में कम से कम दो बार स्वीकृत कार्यों का अनुश्रवण करेगी यदि किसी वनमण्डल / संस्थान द्वारा स्वीकृत राशि अनुसार कार्य नहीं कराए जाते तो समिति इस राशि को अन्य प्रशिक्षण संस्थानों / वनमण्डलों को आवंटित कर सकेगी।

5. प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया :

संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अधोसंरचना विकास हेतु 5 वर्षीय प्रस्ताव तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रतिवर्ष वार्षिक प्रस्ताव तैयार कर मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन) को प्रेषित किए जाएंगे।

5.1 वनमण्डल अधिकारियों द्वारा अधोसंरचना के विकास हेतु पांच वर्षीय प्रस्ताव संबंधित वन संरक्षक के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक संयुक्त वन प्रबंधन को प्रेषित किए जावेंगें।

5.2 मुख्य वन संरक्षक संयुक्त वन प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को अपने अभिमत सहित विभागाध्यक्ष स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा एवं समिति के अनुमोदन अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी की जावे।

6. प्रकरण विशेष में इन नियमों एवं संकल्प में वर्णित प्रावधानों में व्याख्या के अंतर की स्थिति में संकल्प के मूल प्रावधान ही लागू होंगे।

23/12

(एल0एम0बेलगाल)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग